भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 911
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

ई-कोर्ट परियोजना चरण-III

911. श्रीमती स्मिता उदय बाघ :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री भर्तृहरि महताब :
डॉ. भोला सिंह :
श्री विजय बघेल :
श्री मनोज तिवारी :
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री आलोक शर्मा :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री अनन्त नायक :
श्री नव चरण माझी :
श्री तेजस्वी सूर्या :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई-कोर्ट परियोजना के चरण-III के तहत जिला और उप-जिला स्तर पर अधिक अदालतों को शामिल करने के लिए मौजूदा न्यायिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले और ओडिशा के क्योंझर जिले सहित जिला-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चरण-III मामलों के लंबित रहने के मुद्दे का किस प्रकार समाधान कर रहा है और क्या उक्त चरण में पुरःस्थापित नए डिजिटल उपकरणों और प्रणालियों के माध्यम से मामलों के लंबित रहने को कम करने के लिए कोई विशिष्ट समय-मीमा या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ई-कोर्ट परियोजना के माध्यम से शुरू की गई नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए न्यायिक कर्मचारियों और हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो इन प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित या लागू किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) संवेदनशील कानूनी डेटा की सुरक्षा और न्यायपालिका के भीतर साइबर खतरों को रोकने के लिए स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : 7210 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ, ई-न्यायालय चरण–3 परियोजना इस बात को रेखांकित करती है कि सरकार देश में न्यायालयों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को कितना महत्व देती है । जिला और उप-जिला स्तरों पर मौजूदा अवसंरचना की क्षमता को सुदृढ़ तथा विस्तारित करने के लिए अनेक पहलों की योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र का जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतारा जिला तथा ओडिशा का केओनझार जिला है । ई-न्यायालय चरण –3 परियोजना के अधीन कुछ प्रमुख पहलों में सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक उन्नत बनाना शामिल है जिसके अंतर्गत देश भर के सभी न्यायालयों को आपस में जोड़ना, जिसमें उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, ताकि, भारतीय न्यायिक प्रणाली को सूचना और संचार प्रोद्योगिकी (आईसीटी) के रुप में सक्षम बनाया जा सके तथा न्याय परिदान प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेय बनाया जा सके । इसके अलावा चरणबद्ध रीति से कागज रहित न्यायालयों के लिए अवसंरचना का विकास किया जा रहा है । एक मजबूत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करके न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए आभासी न्यायालयों का विस्तार, न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्क्रीनिंग, पूरे न्यायालयों के अभिलेख का डिजिटिलीकरण, मामलों की ई-फाइलिंग और वीडियों कान्फ्रैंसिंग सुविधाओं का उपबंध किया जा रहा है । आर्टिफिशीयल इंटेलीजेंस, ब्लाकचेन और अन्य जैसी कुछ भविष्य की तकनीकी प्रगति की भी योजना बनाई गई है । आईसीटी अवसरंचना की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं और अप्रचलित हार्डवेयर को बदला जा रहा है । जिला न्यायालय की वेबसाइटों को सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य सेवा के रुप में (एस3डब्ल्यूएएएस) प्लेटफार्म पर स्थानांतरित करना एक सतत् प्रक्रिया है और न्यायालय में पर्याप्त क्लाउड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं ।

बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन आईसीटी अवसंरचना जिसके अंतर्गत सभी कंप्यूटर, स्कैनर, यूपीएस (अनइंट्रप्टीबल पावर सप्लाई), पूर्ण हाइब्रिड वीडियों कान्फ्रैंसिंग प्रणाली, लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) नोड्स, डिस्प्ले बोर्ड, एमएफडी (मल्टी फंक्शन डिवाइस), विद्यमान न्यायालयों के लिए प्रिंटर आते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य जिसके अंतर्गत जलगांव जिला न्यायालय भी हैं, में सभी नए स्थापित न्यायालयों में प्रदान किए गए हैं । ई-सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में जिला और ताल्लुक न्यायालयों विभिन्न हार्डवेयर भी आते हैं । इसके अलावा ई-न्यायालय परियोजना के चरण – 3 के अधीन जिला मुख्यालय जलगांव में दो न्यायालयों की ऑन लाइन न्यायालयों के रुप में पहचान हुई है और उक्त ऑनलाइन न्यायालयों के लिए आईसीटी अवसंरचना का वितरण प्रक्रिया में है ।

ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार जिला मुख्यालयों पर चार नए न्यायालय तथा चार नए ताल्लुका न्यायालय प्रदान किए गए हैं जिनमें अपेक्षित आईसीटी हार्डवेयर भी है जिसके अंतर्गत आल इन वन कंप्यूटर, एमएफडी प्रिंटर, यूपीएस, लैन, नोड्स, डिस्प्ले मॉनीटर आते हैं । केओनझार जिले में सभी 26 न्यायालयों को वीडियो कान्फ्रैंसिंग की सुविधा प्रदान की जा चुकी है । जिले में अपेक्षित आईसीटी हार्डवेयर के साथ 7 न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक है । एक नया न्यायालय परिसर तेलकोई में विहित आईसीटी हार्डवेयर में जैसे प्रोजैक्टर के साथ सक्रीन, 2केवीए यूपीएस, 2टीबी हार्ड डिस्क, 7.5 केवीए डीजी सैट आदि दिया जा रहा है । ऑन लाइन न्यायालय के अधीन दो न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश न्यायालय तथा न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय को विहित हार्डवेयर मदें जैसे कि डब्ल्यूएसीओएम (इंट्रैक्टिव डिस्प्ले), पीटीजैड (पैन-टिल्ट – जूम) कैमरा, वीसी (वीडियो कान्फ्रैंसिंग) इकाई, उच्च स्पीड सकैनर, कंप्यूटर सिस्टम, एलईडी (लाइट एमिटिंग डिओड) डिस्प्ले आदि का उपबंध किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पूर्व चरणों में 23 जिलों के 467 न्यायालयों को आईसीटी अवसंरचना प्रदान की गई थी जो अब बढ़ाकर 653 न्यायालयों को पहुंचाना प्रस्तावित है । आज की तारीख पर जहां तक बेमेतारा जिले का संबंध है, 14 न्यायालय ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आने के लिए प्रस्तावित है और दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 76 न्यायालय अपेक्षित आईसीटी अवसंरचना के साथ चरण-3 में ई-न्यायालयों के अधीन आना प्रस्तावित है ।

(ग) : संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय स्टाफ और भौतिक अवसंरचना, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। ऐसे कई कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है। जहां तक तकनीकी हस्तक्षेप का सवाल है, ई- न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) को 99.5 प्रतिशत न्यायालय परिसरों तक बढ़ा दिया गया है, यातायात अपराधों की सुनवाई के लिए 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 27 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं, वादियों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से मामले की जानकारी प्राप्त होती है, 3240 अदालतों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं चालू की गई हैं, 9 उच्च न्यायालयों में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है, वकीलों के लिए 24X7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है। आज तक ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग करके उच्च न्यायालयों में 12,19,214 मामले और जिला और तालुका न्यायालयों में 49,04,673 मामले (कुल 61,23,887) फ़ाइल किए गए हैं। इसके अलावा, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 1540 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) जिनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3 पीठें शामिल हैं, वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं।

(घ) : ई-समिति, एससीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा, जिसमें विभिन्न हितधारकों, जैसे न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्ता, न्यायाधीश आदि शामिल हैं, ई-समिति, एससीआई वेबपोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

लिंक :https://ecommitteesci.gov.in/document-category/training-and-awareness-programmes/.

(ङ) : विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक उप समिति, जिसकी सहायता तकनीकी कार्य समूह के सदस्यों जिसमें डोमेन विशेषज्ञ भी हैं द्वारा की गई थी, का गठन ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष द्वारा किया गया है, जिससे निजता के अधिकार को सरंक्षित करने, डाटा संरक्षण के लिए सुरक्षित संयोजता तथा प्रमाणीकरण की प्रणाली के लिए सुझाव/सिफारिश की जा सके । उप समिति के लिए डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क तथा नागरिकों की निजता के संरक्षण के लिए और डाटा सुरक्षा को सुदृढ़ करने का समाधान देने हेतु ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सृजित सेवा परिदान सोल्यूशन, को आलोचनात्मक रुप से निर्धारित और परीक्षित करना अधिदेशित है ।

****

उपाबंध -1

ई-न्यायालय परियोजना चरण – 3 के संबंध में 7 फरवरी, 2025 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 911 के उत्तर के संदर्भ में कथन ।
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से, ई-न्यायालय परियोजना चरण – 3 के अधीन छत्तीसगढ़ के दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा बेमेतारा जिला के लिए प्राप्त आईसीटी हार्डवेयर व्यवस्थित निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	जिले का नाम	ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला तथा उप जिला स्तर पर उपबंधित अब तक अवसंरचना*	ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-3 के अधीन जिला तथा उप जिला स्तर पर उपबंधित प्रस्तावित अवसंरचना**
1	अंबिका पुर में सुरगुजा	19	25
2	बैकुंठ पुर में कोरिया	19	23
3	बलोड	12	14
4	बलोडा – बाजार	27	22

5	रामानुजगंज में बलरामपुर	8	11
6	बेमेतारा	9	14
7	बिलासपुर	35	65
8	दंतेवाडा	13	17
9	धामतारी	16	14
10	दुर्ग	32	76
11	बस्तर, जगदालपुर	14	17
12	जंजगीर-चंपा	22	34
13	जाशपुर	19	16
14	कंकेर	15	27
15	कबीरधाम	12	14
16	कोंडागांव	10	11
17	कोरबा	19	26
18	महासामुंड	18	24
19	मुंगेली	7	10
20	रायगढ़	31	39
21	रायपुर	74	106
22	राजनंदगांव	22	30
23	सूरजपुर	14	18
	कुल	467	653

टिप्पण :- * उन न्यायालयों को शामिल करता है जहां अवसंरचना पहले से उपबंधित है ।

** उन न्यायालयों पर विचार करता है जहां पिछले चरण में अवसंरचना पहले ही उपबंधित की जा चुकी है, जो ई-न्यायालय चरण-3 में बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

****